दैनिक भास्कर रायपुर 15-07-2025

सूदखोर तोमर ब्रदर्स नहीं पहुंचे कोर्ट, दोनों फरार घोषित, 44 दिन में 66 से ज्यादा केस

18 तक दोनों भाई नहीं पहुंचेंगे कोर्ट तो संपत्ति कुर्की की शुरू होगी प्रक्रिया

क्राइम रिपोर्टर | रायपुर

सूदखोरी, वसूली, ब्लैकमेलिंग के आधा दर्जन मामले में पिछले सवा माह से फरार चल रहे तोमर ब्रदर्स सोमवार को भी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर दोनों को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की है।

दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने का फिर मौका दिया गया है। इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पिछले सवा माह से फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उन्हें 14 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होना था। उनके घर पर जाकर इसकी सूचना दी गई। उसके बाद भी दोनों भाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित किया है। दोनों भाईयों पर 44 दिनों में 66 से ज्यादा केस दर्ज किया गया है। इसमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। इन मामलों में तोमर परिवार की एक बहू, भतीजा दिव्यांश, दो वकील और दो कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। सभी जेल में बंद हैं। इसी मामले में दोनों भाई लगातार फरार चल रहे हैं। परिजनों का दावा है कि दोनों भाई कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने अब तक घर में संपर्क भी नहीं किया गया है। पुलिस भी दोनों को ढूंढ नहीं पा रही है।

भास्कर लगातार

सूदखोरी का साम्राज्य